पत्रांक 4749 आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर0/प्रर्व0–अनु0/2012–13

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड।
(प्रर्वतन–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक :: 08 फरवरी, 2013

समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, जांच चौकी (प्रभारी)
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, जांच चौकी, उत्तराखण्ड।

दिनांक 01.03.2013 से वाणिज्य कर जांच चौकी समाप्त हो जाऐगी। परिपत्र संख्या 4730 आयु0क0 उत्तरा0 /वाणि0 कर0/प्रर्व0–अनु0 /2012–13 दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा जांच चौकी समाप्त होने पर प्रान्त बाहर से आयात किये जा रहे माल की घोषणा हेतु तैयार किये गये साफ्टवेयर द्वारा दिनांक 10.02.2013 से विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया है। आयात किये जा रहे माल की Manually घोषणा के विकल्प के रूप में ट्रिप शीट (Trip sheet) तैयार किये जाने हेतु साफ्टवेयर के माध्यम से व्यापारी द्वारा वाहन में लदे माल के विवरण की घोषणा करते हुए प्रिट आउट लेकर अन्य समस्त अभिलेखों के साथ प्रदेश में प्रवेश करना है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 10.02.2013 से वर्तमान जांच चौकी के रहते हुए भी ट्रिप शीट (Trip sheet) को आनलाईन तैयार करने का विकल्प उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस प्रकार दिनांक 10.02.13 से 28.02.13 तक आनलाईन घोषित किये गये ट्रिप शीट (Trip sheet) के संबंध में जांच चौकी पर निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी।

1– वाहन के प्रदेश के अन्दर प्रवेश करने पर वाहन चालक या अन्य सबन्धित व्यक्ति द्वारा जांच चौकी पर आनलाईन ट्रिप शीट (Trip sheet) के प्रिन्ट आउट (दो प्रतियों में) फार्म–16/17, बिल, बिल्टी एवं अन्य दस्तावेज सहित जांच चौकी पर प्रस्तुत किये जायेगे।

2– प्रत्येक जांच चौकी पर एक रजिस्टर अलग से रखा जायेगा। इस रजिस्टर में सिर्फ ऑनलाईन ट्रिप शीट (Trip sheet) का इन्द्राज किया जायेगा। ऐसी जांच चौकी, जहॉ एक समय में एक से अधिक तृतीय श्रेणी कर्मचारी तैनात है, में से एक कर्मचारी की डयूटी इस आशय से लागई जायेगी कि ऑनलाईन ट्रिप शीट (Trip sheet) से सम्बन्धित अभिलेख आने पर उनका अविलम्ब इन्द्राज उक्त सन्दर्भित रजिस्टर में कर लिया जायेगा।

3— जांच चौकी नारसन, आशारोडी, चिडियापुर, रूद्रपुर, सुताईयां, शाहगंज एवं कुल्हाल में ट्रिप शीट के माध्यम से आने वाले वाहनों के लिए अलग से विन्डों स्थापित कि जायेगी। साथ ही इस कार्य हेतु असि० कमि०, वा० कर (प्रभारी) जांच चौकी द्वारा तृतीय कर्मचारी की अलग से डयूटी लगायी जायेगी। उक्त जांच चौकी में जहॉ पर एक शिफ्ट में दो वाणिज्य कर अधिकारी डयूटी कर रहे है, में से एक अधिकारी की डयूटी असि० कमि० वाणिज्य कर, (प्रभारी) जांच चौकी द्वारा इस प्रकार लगायी जायेगी कि इस प्रकार के कागज आने पर बिना विलम्ब के पास हो जाये। उक्त को सुचारू रूप से चलाने/पर्यवेक्षक हेतु मुख्यालय से अन्य अधिकारियों की डयूटी अलग से लगायी जायेगी।

4— जांच चौकी पर उपस्थित कर्मचारी सम्बन्धित Tripsheet Online से सम्बन्धित रखे गये रजिस्टर में निम्न तालिका के अनुसार Computer Generated Tripsheet का नम्बर, वाहन संख्या एवं फार्म—16/17 की संख्या को अंकित करेंगे।

<u>Online Tripsheet Register</u>

क्रम संख्या	वाहन संख्या	ट्रिप शीट संख्या	फार्म—16 की संख्या	फार्म—17 की संख्या
1	2	3	4	5

5— कर्मचारी द्वारा वर्तमान प्रकिया के अनुसार ट्रिप शीट में दर्शाये गये फार्म—16/17 की संख्या का मिलान प्रस्तुत फार्मो से किया जायेगा एवं प्रस्तुत किये गये ट्रिप शीट एवं अभिलेखों पर मुहर लगा कर इस कार्य हेतु तैनात अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जायेगें।

6— जॉच चौकी प्रभारी द्वारा वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ही ट्रिपशीट एवं फार्म पर हस्ताक्षर कर फार्म—16/17 की मूल प्रतियॉ एवं ट्रिपशीट की एक प्रति अलग कर जॉच चौकी पर रख ली जायेगी तथा शेष अभिलेख प्रस्तुतकर्ता को वापस कर दिए जायेगें।

7— इसी प्रकार फार्म—16/17 का इन्द्राज पंजी— 1/2 में नही किया जायेगा,। इन फार्मो को सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित सम्भागीय कार्यालयों को प्रेषित कर दिया जायेगा।

चूंकि दिनांक 01—03—2013 से जॉच चौकी समाप्त हो रही हैं इस लिए अब फार्म—16/17 कम से कम सप्ताह में दो बार प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को सम्भागीय कार्यालय को प्रेषित कर दिये जायेगें। इस सम्बन्ध में असि० कमि०, जांच चौकी (प्रभारी) प्रत्येक दिन प्रातः 10.15 बजे तक पिछले दिन प्रस्तुत किये गये आनलाईन ट्रिप शीट की सूचना दूरभाष/SMS के माध्यम से अपने डिप्टी कमि० (प्रर्वतन) वाणिज्य कर, को प्रातः 10.15 बजे तक उपलब्ध करायेंगे।

(सौजन्या)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0प0सं0 4749 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :–

1– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊ जोन,रुद्रपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0), वाणिज्य कर, गढवाल जोन, हरिद्वार/कुमाऊ जोन, रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे तक श्री पीयूष कुमार, एडि0 कमि0 (प्रशा0) वा0 कर, मुख्यालय, देहरादून को फोन नम्बर 941255144 या श्री आई0एस0बृजवाल, एडि0 कमि0 (प्रर्व0) वा0 कर, मुख्यालय, देहरादून को फोन नम्बर 9536047632 पर या SMS के माध्यम से अवगत करायेगे।

3– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ करनिर्धारण अधिकारियों को निर्देशित कर दे कि वे अपने क्षेत्र के उद्योगों/राजकीय/अर्द्व सरकारी उपक्रमों को उक्त हेतु सूचना प्रेषित कराना सुनिश्चित करेगें।

4– डिप्टी कमिश्नर (प्रर्वतन) वा0 कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने जोन के असि0 कमि0 जांच चौकी (प्रभारी) से उक्त के संबंध में सूचना प्राप्त करते हुए अपने जोन के ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0), वाणिज्य कर को प्रातः 10.30 बजे तक अवगत करायेगे।

आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून।